आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित एवं वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)
CIN: L65110TN2014PLC097792, पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, आठवीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031, दूरभाष: +91 44 4564 4000 । फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

नीचे उल्लेखित कर्जदारों तथा सह-कर्जदारों ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** से नीचे उल्लेखित प्रत्याभूत ऋणों की सुविधा हासिल की है। नीचे उल्लेखित कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों के ऋण उनकी संबंधित सम्पत्तियाँ गिरवी रख कर प्रत्याभूत किया गया है। चूंकि उनके द्वारा संबंधित ऋण अनुबंधों के नियम एवं शर्तों का पालन करने में विफल तथा अनियमित होने की वजह से आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार उनके ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। जारी की गई संबद्ध सूचनाओं के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** से ग्रहण की गई उनकी बकाया राशि का उल्लेख किया गया है तथा जिसका विस्तारित विवरण नीचे सारणी में दिया गया है एवं कथित रकम पर आगे के ब्याज भी लागू होंगे तथा उनकी संबंधित तारीखों से अनुबंधकीय दर के अनुसार उसे वसूला जाएगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना की तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया रकम
1	126729848 एवं 133769917	गृह ऋण	12-05-2026	2,38,65,325.59/-

कर्जदारों एवं सह-कर्जदारों का नाम: 1. आशीष वर्मा 2. आर्यन वर्मा 6. राज कुमार

सम्पत्ति का पता: ब्लॉक-एम, स्कीम फर्स्ट, काकादेव, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208019 में स्थित प्लॉट सं. 227 पर निर्मित मकान संख्या 117/227 का संपूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा, जमीन का क्षेत्रफल 358 वर्ग गज (अथवा 299.32 वर्ग मीटर) है; भूतल का अच्छादित क्षेत्रफल 133.58 वर्ग मीटर और प्रथम तल का अच्छादित क्षेत्रफल 34.01 वर्ग मीटर है; कुल अच्छादित क्षेत्रफल 167.59 वर्ग मीटर है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट संख्या 228, पश्चिम: प्लॉट संख्या 226, उत्तर: 40 फुट (12.19 मीटर) चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लॉट संख्या 222।

आपको एतद्द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** को उपरोक्त सारणी में उल्लेखित रकम साथ में उनकी संबंधित तिथियों से अनुबंधकीय दर पर उस पर ब्याज तथा अन्य लागत, शुल्कों इत्यादि का भुगतान करना होगा, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** की बकाया राशि की वसूली के लिए गिरवी रखी गई ऊपर उल्लेखित सम्पत्तियों के विरुद्ध सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इसके अलावा, कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत आप पर बिक्री/पट्टे पर अथवा अन्य किसी भी प्रारूप में कथित प्रत्याभूत सम्पत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई है।

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
तारीख: 20.05.2026 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक
स्थान: उत्तर प्रदेश लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड एवं आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
CIN: L65110TN2014PLC097792, पंजीकृत कार्यालय: केआरएम टावर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेतपेट, चेन्नई-600031, दूरभाष: +91 44 4564 4000 । फैक्स: +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड एवं आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत दिनांक 13.12.2025 को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें कर्जदार, सह-कर्जदारों तथा गारंटरों **1. एस एस एग्रोजोन प्राइवेट लिमिटेड, 2. संजय पाण्डे, 3. पंकज पाण्डे, 4. श्याम सुंदर पाण्डे, 5. सरला पाण्डे, 6. माया पाण्डे को कथित मांग सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित रकम दिनांक 12.12.2025 की स्थिति के अनुसार रु. 2,72,06,386.67 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख छह हजार तीन सौ छियासी एवं पैसे सड़सठ मात्र)** की रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण एतद्द्वारा कर्जदार एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी द्वारा **19 मई, 2026** को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है।

विशेष तौर पर कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा **रु. 2,72,06,386.67 (रुपये दो करोड़ बहत्तर लाख छह हजार तीन सौ छियासी एवं पैसे सड़सठ मात्र) तथा उस पर ब्याज की रकम के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड एवं आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)** के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम, फेज-I में 18.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित 1000 वर्ग मीटर परिमाप के प्लॉट सं. सी-67 का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा कथित सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर: प्लॉट संख्या सी-28, दक्षिण: 18 मीटर चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट संख्या सी-66, पश्चिम: प्लॉट संख्या सी-68।

तारीख: 19-05-2026 अधिकृत अधिकारी
स्थान: उत्तर प्रदेश आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड एवं
ऋण खाता सं.: 49878409 आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

BRANCH SHIFTING

For the better convenience of our valued customers, we are shifting
Auraiya Branch (3170),
under Lucknow Region to our new premises with effect from

20/08/2026

The new address is as mentioned below:

Muthoot Finance Ltd.
Ground Floor, Shop No. 1393, K K Plaza,
Subhash Chowk, Dibiyapur Road, Auraiya,
Uttar Pradesh-206122.
Ph.: 9895315541, 9895314991
E-mail: mgaur3170@muthootgroup.com
In case of any grievance,
please call: 011-46697801
We solicit your continued patronage and support.

Muthoot Finance
muthootfinance.com
Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

संख्याः एचसी–बी/नोटिस/2733/2026
बॉम्बे, 29 अप्रैल 2026

प्रेषक : श्री अनिल एच. लदधाद
प्रोथोनोटरी एवं सीनियर मास्टर,
उच्च न्यायालय, ओ.एस., बॉम्बे–400032
ossuitboard@gmail.com

सेवा में :
1. माँ लक्ष्मी फार्मा
113/9 पारसी शाह लेन, अमिनाबाजी पार्क, लखनऊ 226018
अन्य पताः 5 चंद्र लोक कॉलोनी, नेय हाइडल कॉलोनी, अलीगंज पोस्ट ऑफिस, जिला लखनऊ 226024
2. श्री गोविंद गुप्ता
113/9 पारसी शाह लेन, अमिनाबाद पार्क, लखनऊ 226018
अन्य पताः 5 चंद्र लोक कॉलोनी, नेय हाइडल कॉलोनी, अलीगंज पोस्ट ऑफिस, जिला लखनऊ 226024
3. श्रीमती प्रिया गुप्ता
5 चंद्र लोक कॉलोनी, नेय हाइडल कॉलोनी, अलीगंज पोस्ट ऑफिस, जिला लखनऊ 226024.
————————प्रतिवादियों

संदर्भः उच्च न्यायालय न्यायालय, ओ.ओ.सी.जे.
मध्यस्थता याचिका संख्या 628/2025
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड .....याचिकाकर्ता
बनाम
मां लक्ष्मी फार्मा एवं अन्य ——प्रतिवादी

1. मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि उपरोक्त मामला माननीय न्यायालय (कोरम : न्यायाधीश संदीप वी. मार्ने) के समक्ष 21 अप्रैल, 2026 को सूचीबद्ध किया गया था और उन्होंने रजिस्ट्री को आपको नोटिस जारी करने का निर्देश दिया, जिसका उत्तर 23 जून, 2026 को देना है। दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के आदेश की एक प्रति आपकी सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए संलग्न है।
2. अतः आपको उपरोक्त आदेश का ध्यान रखने और **माननीय संदीप वी. मार्ने,** न्यायमूर्ति के समक्ष न्यायालय कक्ष संख्या 21ए, उच्च न्यायालय संलग्न भवन में **23 जून, 2026** को **सुबह 11.00 बजे** या तो स्वयं उपस्थित होकर या बॉम्बे उच्च न्यायालय में मूल पक्ष में वकालत करने के लिए अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है, और उसके बाद जब भी माननीय न्यायालय के समक्ष ऐसे मामले की सुनवाई सूचीबद्ध हो, तब उपस्थित हों।
3. कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी ओर से या तो स्वयं या आपके द्वारा विधिवत अधिकृत एवं निर्देशित इस माननीय न्यायालय के अधिवक्ता के माध्यम से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है, तो मामले की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा और जब तक कि माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिए जाते, किसी भी कारण से इस रजिस्ट्री द्वारा किसी अन्य तिथि पर कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।

दिनांकः 29 अप्रैल 2026 **कृते प्रोथोनोटरी और सीनियर मास्टर**
संलग्नः दिनांक 21.04.2026 के आदेश की प्रति। **सूट बोर्ड डिपार्टमेंट**

ऐक्सिस बैंक लि0 कब्जे की नोटिस

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह–ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्तियों का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्री सुमित वर्मा (ऋणी) पुत्र श्री रमापति वर्मा पताः महदिया, महाराजगंज, उ0प्र0, 273302, श्री रमापति वर्मा (सह–ऋणी) पुत्र श्री केदार **पताः 1.** महदिया, महाराजगंज, उ0प्र0, 273302, **पताः 2.** आराजी नं0 78, वार्ड नं0 13, मकान नं0 111, मौजा पादरी, टप्पा, कचारी, परगना–हवेली, तहसील सदर, जिला महाराजगंज, उ0प्र0, 273303, श्री केदार (सह–ऋणी) पुत्र श्री गनेश पताः महदिया, महाराजगंज, उ0प्र0, 273302	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित आराजी नं0 78, वार्ड नं0 13, मकान नं0 111, मौजा पादरी, टप्पा, कचारी, परगना–हवेली, तहसील सदर, जिला महाराजगंज, उ0प्र0, 273303, एरियाः 181.22 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री रमापति वर्मा के नाम, **चौहद्दीः वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार**–पूर्व– छोटेलाल का मकान, पश्चिम– 10 फीट चौड़ा रोड, उत्तर– मोहन का मकान, दक्षिण– 20 फीट चौड़ा रोड।	रू0 4622642.71 रू0 29839.02 दि. 20.06.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 30.06.2025 19.05.2026
श्री आकाश कटारिया (ऋणी) पुत्र श्री घनश्याम कुमार कटारिया पताः 212 गंगोत्री नगर डांडी पोस्ट नैनी निकट डांडी पेट्रोल पम्प जिला इलाहाबाद, उ0प्र0–211008, श्री राम सजीवन (सह–ऋणी) पुत्र श्री मीरू **पताः 1.** नई बाजार, जसरा पोस्ट जसरा, निकट शिव मंदिरइ, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0–212107, **पताः 2.** मोहल्ला जसरा परगना अरैला तहसील बाड़ा, जिला प्रयागराज–212107	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति आराजी नं0 199, स्थित मोहल्ला जसरा, परगना अरैला तहसील बाड़ा, जिला प्रयागराज, एरियाः 0.0420 हेक्ट. या 420 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री राम सजीवन पुत्र श्री मीरू के नाम, **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसार**–पूर्व– शिव कुमार का मकान, पश्चिम– खुली भूमि, उत्तर– 20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण– रमेश का मकान।	रू0 2896061.00 रू0 3407.32 दि. 09.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 11.12.2025 18.05.2026
श्री अमित कुमार पाण्डेय (ऋणी) पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय **पताः 1.** ग्राम बिरोरा, बिरोरा पाण्डेय, निकट प्राइमरी स्कूल मिर्जापुर, उ0प्र0–231303, **पताः 2.** ग्राम करहदा उपरहर, परगना एवं तहसील सदर, जिला–प्रयागराज–211012, श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय (सह–ऋणी) पुत्र श्री कमला शंकर पताः ग्राम बिरोरा पाण्डेय दुगाराह असवन निकट प्राइमरी स्कूल, मिर्जापुर, उ0प्र0–231303	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित ग्राम करहदा उपरहर, परगना एवं तहसील सदर, जिला–प्रयागराज, उ0प्र0, एरियाः 300 वर्ग गज या 251.16 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री अमित कुमार पाण्डेय पुत्र श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय के नाम, **चौहद्दीः सर्टीफिकेट के अनुसार**–पूर्व– अन्य का प्लॉट, पश्चिम– 15 फीट चौड़ा रोड, उत्तर– आराजी का शेष भाग, दक्षिण– आराजी का शेष भाग।	रू0 2476181.95 रू0 24107.22 दि. 19.12.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 26.12.2025 19.05.2026
श्री राम सूरत वर्मा (ऋणी) पुत्र श्री छोटे लाल पताः 139 नगर पालिका मौजा पादरी बुर्जुग टप्पा कटाहारा परगना हवेली वार्ड नं0 9, महाराजगंज 272203, श्री चौरसिया कुंवर प्रताप वर्मा (सह–ऋणी) पुत्र श्री राम सूरत वर्मा पताः 139 नगर पालिका मौजा पादरी बुर्जुग टप्पा कटाहारा परगना हवेली वार्ड नं0 9, महाराजगंज 272203	रिहायशी/व्यवसायिक सम्पत्ति स्थित पादरी बुर्जुग, वार्ड नं0 17, टप्पा कटाहारा, वार्ड/परगना हवेली, महाराजगंज, एरियाः 162.45 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री राम सूरत वर्मा के नाम, **चौहद्दीः वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार**–पूर्व– आनन्द सिंह का मकान, पश्चिम– इंटर लॉकिंग रोड, उत्तर– संतोष लॉकिंग, दक्षिण– श्री बदरी विशाल दुबे का मकान।	रू0 2494984.22 रू0 61008.75 दि. 09.07.2025 तक + ब्याज एवं अन्य खर्चे 14.07.2025 19.05.2026

दिनांकः 22.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

निवास हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

NIWAS HOUSING FINANCE

(पूर्ववर्ती इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड, यहाँ आगे एनएचएफपीएल कहा गया है)
पंजीकृत कार्यालय– ऑफिसः यूनिट नं. 305, तीसरा तल, विंग 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, चकला, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई–400093

कब्जा नोटिस [नियम 8(1) और (2)]

जबकि, अधोल्लिखित प्रत्याभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मांग नोटिस जारी किया था जिसमें कर्जदार(ओं) से नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा गया। कर्जदार(ओं) द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार(ओं) और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एनएचएफएल** के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का प्रत्येक संपत्ति के लिए उल्लिखित तारीख को कब्जा ले लिया है।
प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समयावधि में अधिनियम की धारा–13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
विशेष रूप से कर्जदार(ओं) और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेनदेन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एनएचएफएल** के प्रभार के अधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	कर्जदार(ओं) और संपत्ति का विवरण	राशि और मांग नोटिस की तारीख	कब्जे का प्रकार	कब्जे की स्थिति
LNLKW0HL-04240043032	1. मो. फैजल (कर्जदार) 2. शाहिना (सह–कर्जदार)	₹ 14,44,842/– (रुपये चौदह लाख चौबालीस हजार आठ सौ बयालीस मात्र)	20 मई, 2026	सांकेतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर 230, नगर निगम नंबर 429/880, खसरा नंबर 717 से 727 का हिस्सा, क्षेत्रफल– 300 वर्ग फुट, गाँव– बरौरा हुसैन बराई, वार्ड– कन्हैया माधवपुर, तहसील एवं जिला– लखनऊ के समस्त भाग व खंड, इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है। **सीमाएँ निम्नवत् हैं:– पूर्वः** मो. अकबर का मकान, **पश्चिमः** विक्रेता के मकान का शेष भाग, **उत्तरः** 15 फुट चौड़ी सड़क, **दक्षिणः** मो. अकील का मकान

स्थानः लखनऊ हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 22.05.2026 हिते निवास हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HDFC BANK

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

शाखा का पताः हिन्दुस्तान टाईम्स हाउस, द्वितीय तल, 25–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001 फोन : 0522–4272777, 6673726, फैक्सः 0522–2205106
CIN : L65920MH1994PLC080618 वेबसाइट : www.hdfcbank.com

सांकेतिक कब्जे का नोटिस

जैसा कि **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में (माननीय एनसीएलटी–मुम्बई द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के आधार पर पूर्ववर्ती एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) **(एचडीएफसी)** वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन एक मांग सूचना जारी की जिसमें निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशि के साथ कथित सूचना में दर्शाए गए अनुसार लागू दरों पर उसमें लगने वाले ब्याज को कथित सूचना (ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक प्रासंगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं/कानूनी वारिसों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम	बकाया देयराशियां* (रू0)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1	श्री फिरोज अहमद श्रीमती तहसीन फातिमा	27,48,037/– दिनांक 31.12.2025* तक	29.01.2026	21.05.2026	मकान नं0–67/45ए, पोखरपुर, जाजमऊ स्थित प्लाट नं0 45 ए, आराजी नं0 67, ग्राम पोखरपुर, परगना, तहसील वं जिला कानपुर नगर

*भुगतान और/या वसूली की तिथि तक उचित लागू अनुसार आगे लगने वाले ब्याज, प्रांसगिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ, जैसा लागू हो।
हालांकि, उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहें इसलिए एतद्द्वारा विशेषतः कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि **एचडीएफसी** के प्राधिकृत अधिकारी ने कथित अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों को अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।
विशेषतः उपरोक्त दर्शाए गए कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति के साथ कोई भी लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत परिसम्पत्ति पर कोई भी लेनदेन **एचडीएफसी** के बन्धक के अधीन होगा।
कानूनी उत्तराधिकारी (यों) और कानूनी–प्रतिनिधि (यों) को अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध समय के भीतर प्रतिभूत परिसम्पत्ति/यों को मुक्त कराने की ओर से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दिनांकः 22.05.2026 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के लिए
स्थान : कानपुर प्राधिकृत अधिकारी
पंजीकृत कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बपत मार्ग, लोवर पर्ल (पश्चिम) मुम्बई–400 020

In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

• **पंजीकृत कार्यालय :** ग्रेप गार्डन, नं. 27, तृतीय 'ए' क्रॉस, 18वां मुख्य, 6ठवां ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरू– 560095, **क्षेत्रीय कार्यालय :** जीएमटीटी बिल्डिंग प्लॉट नं. डी–7, सेक्टर–3 नोएडा (उत्तर प्रदेश)– 201301,
शाखा कार्यालय : जीरो रोड – भू तल, मकान नं. 118/105, केपी कक्कड़ रोड (जीरो रोड), 30/23 महाजनी टोला, तहसील सदर, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211003

सार्वजनिक नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) व 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफॉएसि अधिनियम) 2002 के अंतर्गत विक्रय की सार्वजनिक सूचना। अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। विशेष रूप में उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित खाता में बंधककृत संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी, यहां नीचे अंकितानुसार निर्धारित तिथि पर, **"जैसी है जहाँ है आधार" एवं "जैसी है जो है आधार"** पर आयोजित की जाएगी।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम	13–2 सूचना की तिथि एवं मांग राशि	साँकेतिक/भौतिक अधिग्रहण की तिथि	वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य आईएनआर में	धरोहर राशि जमा (धराज) आईएनआर में (आरक्षित मूल्य की 10%)	ई–नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि	धराज प्रेषण के लिये खाता विवरण
1.	237322024000017	(1) रंजीत कुमार पुत्र प्यारे लाल (उधारकर्ता), 155/112, करैला बाग, बालू मार्केट, जीटीबी नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211016 (2) सुमित्रा देवी पत्नी प्यारे लाल (सह–उधारकर्ता/गारन्टर), 412, खरकौनी नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211008	29.05.2024 रु. 4,87,408/–	29.11.2024 (भौतिक अधिग्रहण)	रु. 4,93,513.43 (18.05.2026 तक)	23.06.2026 अप. 02.00 बजे पूर्व नियुक्ति द्वारा	रु. 7,13,000/–	रु. 71,300/–	30.06.2026 दोप. 12:00 से अप. 01:00 बजे	29.06.2026 अप. 4:00 बजे तक	ईएमडी जीरो रोड शाखा में देय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पक्ष में तैयार डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जानी चाहिए अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से खाता संख्या 22011013462001, आईएफएससी UJVN0002201 में प्रेषित की जानी चाहिए। संपर्क व्यक्ति : (1) अरुणेश पांडे, मोबा.: 8130410711 (2) तन्मय वर्मा, मोबा.: 7081557790

मौजा बख्शी मोड़, परगना और तहसील सदर, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय प्लॉट अरजी नंबर 194 का वह पूरा हिस्सा और अंश, जिसका क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, जो इस प्रकार घिरा हुआ है :– **सीमाएं :– पूर्व :** सड़क; **पश्चिम :** अरजी का हिस्सा; **उत्तर :** अरजी का हिस्सा; **दक्षिण :** अन्य का प्लॉट।

नियम एवं शर्तें :– यह ई–नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "वहां जो कुछ भी है" आधार पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार, यहां किसी भी संपत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, ऋणभारों तथा नीलामी में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करनेवाले दावों/अधिकारों/बकायों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी अभ्यावेदन का संस्थापन नहीं करता है और न ही संस्थापन करता हुआ माना जाएगा। संपत्ति को सभी विद्यमान और भविष्य के ऋणभारों के साथ बेचा जा रहा है, वह चाहे बैंक को ज्ञात हों अथवा अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं होंगे।
2. यह बोलीदाताओं का उत्तरदायित्व होगा कि वे बोली जमा करने से पहले परिसंपत्ति एवं विनिर्देशन के बारे में निरीक्षण करें और स्वयं को संतुष्ट करें। नीलामी पर रखी गई संपत्ति/यों के निरीक्षण की अनुमति इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक संपत्ति विवरण के सामने उल्लिखित साइटों पर दी जाएगी।
3. इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित नीलामी तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपनी बोली प्रस्तुत करनी होगी।
4. **ई–नीलामी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा अनुमोदित ई–नीलामी सेवा प्रदात्री– मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आयोजित की जाएगी, संपर्क व्यक्ति – श्री प्रभाकरन (मो. नं. 7418281709)। इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट में संपत्तियों के विवरणों के लिए https://www.bankeauctions.com या https://www.ujjivansfb.in/e-auctions पर जाने की सलाह दी जाती है और बोली में भाग लेने के लिए उन्हें पोर्टल https://www.bankeauctions.com पर अपने नाम पंजीकृत करने होंगे और अपने यूजर–आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करने होंगे। संभावित बोलीदातागण, सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेल्पलाइन नंबर– 7291918824, 25, 26 सपोर्ट ईमेल आईडी :– support@bankeauctions.com, नीलामी पोर्टल– https://www.bankeauctions.com से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।**
5. संपत्ति, उच्चतम बोली लगाने वाले / प्रस्तावक को बेची जाएगी, जो प्रतिभूत ऋणदाता, अर्थात् उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा बोली की स्वीकृति के अधीन है। हालांकि, आवश्यक समझे जाने पर परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी प्रस्ताव / निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
6. सफल बोली लगाने वाले की **बयाना राशि (ईएमडी)** आंशिक बिक्री विचार के लिए रखी जाएगी और असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जमा करना होगा और बिक्री मूल्य का शेष 75 प्रतिशत बिक्री के 15 वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, किसी भी मामले में ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर 3 महीने से अधिक नहीं, जैसा कि लिखित रूप में सहमति हुई है और केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर है। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में, प्रस्तावक द्वारा पहले ही जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलामी में रखा जाएगा और चूककर्ता क्रेता के पास संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
7. प्रकाशन, फोर्स मेजर क्लॉज के अधीन है।
8. बोलीदाताओं के हित में अंतिम समय में बोली लगाने से बचा जाना चाहिए क्योंकि न तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली विफलता इत्यादि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बिजली आपूर्ति बैक–अप इत्यादि जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प तैयार रखें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले पाने में समर्थ हो सकें।
9. **यह सूचना, बंधककृत संपत्तियों की बिक्री के लिए निर्धारित सार्वजनिक नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं के लिए एक सूचना भी है।**

दिनांक : 21–05–2026 स्थान : प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) प्राधिकृत अधिकारी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक